प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,बदायूँ।

पत्रांक 2942 / 14-1 बदायूँ दिनांक 07 अप्रैल/2018

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

विषयः– बदायू–कादरचौक गंगापुर मार्ग किमी0 चैनेज 0.765 के बायीं पटरी पर ग्राम–शेखूपुर के गाटा सं–282 पर इंडियन ऑयल कार्पो लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.049748 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2812/बदायूँ/29427/2017 दिनांक 03.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में उच्च स्तर द्वारा उठाई गयी आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन सुसंगत नहीं है। 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण व अनुमानित बृद्धि का समावेश करते हुये संशोधित वृक्षारोपण का प्राक्कलन ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	प्राक्कलन को संशोधित कर आनलाईन कर दिया गया है तथा प्राक्कलन की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2	उक्त बिन्दु के कम में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थ का डिजिटल मैप, के के0एफ0एल0 फाईल, स्थल चिन्हित टोपोशीट व उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भी संशोधित कर, आनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के कम में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थ का डिजिटल मैप, के के0एफ0एल0 फाईल, स्थल चिन्हित टोपोशीट व उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भी संशोधित कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।
3	परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही है। आनलाईन पार्ट–2 में अकिंत वानस्पतिक घनत्व को संशोधित करने का कष्ट करें तथा ऑनलाइन पार्ट–2 की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही है। आनलाईन पार्ट–2 में अकिंत वानस्पतिक घनत्व को संशोधित कर दिया गया है तथा ऑनलाइन पार्ट–2 की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।
4	पृष्ठ–23 पर संलग्न एन0पी0वी के गणना–पत्र के शीर्षक में वन भूमि का मूल्य का आंकलन अंकित है, जिसे संशोधित कराने का कष्ट करें उपरोक्त बिन्दु–3 के कम में एन.पी.वी. की गणना को भी संशोधित कर आनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	पृष्ठ–23 पर संलग्न एन0पी0वी के गणना–पत्र के शीर्षक में वन भूमि का मूल्य का आंकलन कर संशोधित कर दिया गया हैं उपरोक्त बिन्दु–3 के कम में एन.पी.वी. की गणना को भी संशोधित कर आनलाईन अपलोड. कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ–31 पर संलग्न अभिलेख का आशय स्पष्ट नही हैं। प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें, कि परियोजना में 0.049848 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप की कोई भूमि प्रभावित नही हो रही है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया ।

संलग्नक–प्रस्ताव की 04 मूल प्रति।

भवदीय

(रत्नेश श्रीवास्तव) 07-04-18
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ